

कार्यपालिका के कार्य

वैश्वे तो कार्यपालिका का काम विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना है। लेकिन कार्यपालिका का कार्यक्षेत्र धीरे-धीरे काफी विस्तृत हो रहा है। आज राज्य का स्वल्प कल्याणकारी होने के कारण उसका कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत हुआ है जिससे कार्यपालिका के कार्यों में भी वृद्धि हुई है।

कार्यपालिका के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं-

① प्रशासकीय कार्य -

कार्यपालिका का प्रमुख कार्य प्रशासन करना एवं देश में आंतरिक शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना है।

② कूटनीतिक कार्य -

विदेशों के साथ उत्पन्न सम्बंध स्थापित करना कार्यपालिका का कूटनीतिक कार्य है। इसके लिए वह विदेशों में अपने दूतवास स्थापित करती है एवं राजदूत की नियुक्ति करती है एवं अन्य देशों से आए हुए राजदूतों का स्वागत करती है।

③ सैनिक कार्य:-

विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना कार्यपालिका का दायित्व है। इसके लिए वह स्थल, जल, वायु सेना का संगठन करती है।

④ विधि-निर्माण संबंधी कार्य :-

कार्यपालिका किसी न किसी रूप में विधि निर्माण में भी अग्रभूमि भाग लेती है। कई देशों में कार्यपालिका को संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने एवं निम्न सदन को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। साधारणतः सभी प्रकार के विधेयकों का प्रारंभ कार्यपालिका ही तैयार करती है। संसद द्वारा पारित विधेयक जब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कार्यपालिका का प्रधान अपनी स्वीकृति न दे दे।

⑤ न्यायिक कार्य:-

कार्यपालिका के प्रधान को न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। आपाधिकारों को प्रमाण देने, दण्ड को बका करने का भी अधिकार है।

⑥ वित्तीय कार्य:-

कार्यपालिका प्रत्येक विभाग के आय-व्यय का निरीक्षण करती है और इसका नियंत्रण रखती है।

Sharma Anu
B.A. Professor